

हिमाचल प्रदेश सरकार



निदेशालय आयुर्वेद विभाग,
हिमाचल प्रदेश

वार्षिक

प्रशासनिक रिपोर्ट

अप्रैल, 2011 से मार्च 2012

संम्पर्क

निदेशक, निदेशालय आयुर्वेद विभाग,

ब्लाक नं: 26, एस.डी.ए (कम्पलैक्स)

कसुम्पटी शिमला— 171009.

दूरभाष: 0177— 2622262

फैक्स: 0177— 2622010

परिचय

आयुर्वेद विभाग प्रदेश के सामान्य एवं दूर-दराज/दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यह पद्धति मूलतयः पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश आदि पंचभूत तत्वों तथा वात, पित, कफ पर आधारित है तथा विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। इस पद्धति का वैज्ञानिक आधार है तथा इस प्रणाली ने लोगों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। यह पद्धति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की आम जनता में श्वासरोग, पाचन तन्त्र के रोग स्नायु तन्त्र के रोग, पक्षाघात स्नायु सम्बन्धित बिमारियां जिसमें लम्बर-अधोपृष्ठ क्षेत्र मुख्य है, गुद विदार एवम् भगन्दर आदि पुरानी बिमारियों को साध्य करने में विशेष रूप से लोकप्रिय सिद्ध हुई है। यह सर्वविदित है कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित लक्ष्य को इस विभाग की सहायता के बिना अकेले प्राप्त नहीं कर सकता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवम् होम्योपैथी विभाग के संस्थान भी प्रदेश के दूर्गम एवम् दूर दराज क्षेत्रों में स्थापित है जहां वह जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं। पारम्परिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद जीवन को शरीर, मन, इन्द्रियां एवं आत्मा का सायुज्यन मानता है तथा जिस समग्र स्वास्थ्य की बात होती है, वह मानव को भौतिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं के सामंजस्य द्वारा ही सम्भव है। स्वास्थ्य का यह विस्तृत एवं विभिन्न आयमों सम्मिलित विचार भौतिकवाद से परे डल्लयू० एच० ओ० द्वारा स्वास्थ्य की सयुंक्त परिभाषा से बहुत मेल खाता है जिसमें 'हैल्थ-फार आल' के अन्तर्गत मानवीय चेतनाओं, भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की अनुभूति का समावेष है। इस पद्धति के इतने विशाल ढांचे व देश-प्रदेश के दुर्गम इलाकों तक पहुंच के दृष्टिगत हमारे देश में एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा

स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतू आयूष का महत्वपूर्ण योगदान एवं उज्ज्वल भविष्य है। राज्य सरकार भी इस पारम्परिक चिकित्सा पद्धति के विस्तार को काफी महत्व दे रही है, जिसके लिए आयुर्वेद विभाग स्वतन्त्र रूप से दिनांक 7 नवम्बर 1984 से निरन्तर कार्यरत है।

इस विभाग के अधीन चिकित्सा की निम्न पद्धतियां आती हैं:-

(1) आयुर्वेद (पंचकर्मा सहित) (2) योग व प्राकृतिक पद्धति (3) यूनानी (4) सिद्धा (5) होम्योपैथी। इसके अतिरिक्त विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में 4 आमची स्वास्थ्य केन्द्र भी स्थापित हैं जो तिब्बती चिकित्सा पद्धति पर आधारित हैं।

वर्ष 1984 में स्वास्थ्य विभाग से अलग होने पर आयुर्वेद विभाग में कुल 441 संस्थान थे। समय व्यतीत होने के साथ-2 विभाग ने इन वर्षों में नये स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व मूलभूत सुविधाएं जुटाने में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इस के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश आज भारतीय चिकित्सा की इस पद्धति को विकसित करने वाला अग्रणी राज्य बन गया है।

संस्थागत ढांचा

विभागीय संस्थानों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(क) अस्पताल / स्वास्थ्य केन्द्र:

वर्तमान में विभाग में आयुर्वेदिक एंव हौम्योपैथिक संस्थानों की संख्या 1159 है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल	02
(प्रत्येक 200 / 50 विस्तरीय)	
2. आयुर्वेदिक अस्पताल	26
(30—बिस्तरीय अस्पताल—1, 20 बिस्तरीय—6, 10—बिस्तरीय—19)	
3. आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र	1109
4. हौम्योपैथिक स्वाठा केन्द्र	14
5. यूनानी स्वाठा केन्द्र	03
6. प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र	01
7. आमची स्वाठा केन्द्र	04.

कुल **1159**

नोट:- 07 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों के खुलने, 01 आयुर्वेदिक संस्थान के पुनः खुलने (रि—नोटिफाइ) तथा एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र के अस्पताल में स्तरोन्नत होने के फलस्वरूप आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़कर 1109 हो गई है।

(ख) अन्य संस्थान


1. राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला जिला कांगड़ा (हि.प्र)	01
2. आयुर्वेद भेषती विज्ञान महाविद्यालय कालेज आफ आयुर्वेदिक फार्मास्युटिकल सार्विसिज, जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी ।	01
3. आयुर्वेदिक फार्मसी जोगिन्द्रनगर (मण्डी), माजरा (सिरमौर) एवम पपरोला (कांगड़ा)	03
4. औषध प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी ।	01

5. क्षैत्रिय उत्कृष्ट आयुर्वेद जरा स्वास्थ्य रक्षण केन्द्र पपरोला जिला काँगड़ा	01
6. द्रव्यगुण एवं हिमालयन बनौषधि उत्कृष्ट संस्थान, जोगिन्द्रनगर	01
7. अनुसन्धान संस्थान भा.चि.प.	01
8. हर्बल गार्डन	04

- 1. जोगिन्द्रनगर,
- 2. नेरी (हमीरपुर)
- 3. धुमरेडा (रोहडू)
- 4. जंगल झलेडा (बिलासपुर)

वर्ष 2011–12 के दौरान उपरोक्त आयुर्वेदिक संस्थानों में अतंरग 91570 तथा 5137224 बहिरंग रोगियों का उपचार किया गया।

Organizational Set-up in the State Ayurved Department



निदेशालय आयुर्वेद

वर्ष 1984 से भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के संचालन निरीक्षण हेतु एक स्वतन्त्र प्रभारी मन्त्री तथा वरिष्ठ आई.ए.एस./एच.ए.एस अधिकारी जिनके पास निदेशक आयुर्वेद का प्रभार है कार्यरत है, एक अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद का पद है, जो राज्य प्रशासनिक सेवाओं से है। वर्तमान में दो मनोनीत विशेष कार्य अधिकारी तथा दो सहायक निदेशक तकनीकी परामर्श हेतु कार्यरत है। जिला स्तर पर सभी जिलों में एक जिला आयुर्वेद अधिकारी तथा उपमण्डल स्तर पर 36 उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

जिला स्तरीय व्यवस्था

स्वास्थ्य विभाग से पृथक होने से पूर्व भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग सीधे तौर पर सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अधीन था तथा विभाग की सभी गतिविधियां आयुर्वेदिक निरीक्षक के माध्यम से चलाई जाती थी। स्वतन्त्र विभाग की संरचना के दृष्टिगत जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों के पदों के सृजन हुए जिन्हें उनके सम्बंधित जिलों में हर प्रकार के कार्य को चलाने के लिए सशक्त किया गया।

प्रत्येक जिले में प्राथमिक चिकित्सा ईकाई के रूप में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। सभी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए पांच कर्मचारीयों के पदों की व्यवस्था है, जिनमें एक आयु० चिकित्सा अधिकारी,, एक आयुर्वेद फार्मासिस्ट, एक ए.एन.एम./दाई एक चतुर्थ श्रेणी तथा एक स्वच्छक (नियमित/पार्ट टाईम) है। इस समय 12 जिला मुख्यालयों में एक-एक 10/20 बिस्तरीय आयु० चिकित्सालय स्थापित है जिनमें आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों व पैरा मैडिकल कर्मियों के कुल

मिला कर 14 पद सूजित है जो बहिरंग व अतंरंग रोगियों की सेवा करते हैं। अधिकतर आयु० स्वा० केन्द्र प्रदेश के ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में स्थापित हैं जहां स्वास्थ्य विभाग का कोई भी संस्थान नहीं है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक चिकित्सा सेवाएं आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

प्रत्येक आयु० स्वास्थ्य केन्द्र व अस्पताल की प्रशासनिक देखरेख/निरीक्षण व दवाईयों आदि की आपूर्ति जिला स्तर से की जाती है।

प्रशासनिक संरचना का विकेन्द्रीकरण

विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर पर सभी जिलों में एक-एक जिला आयु० अधिकारी कार्यरत है। प्रशासनिक संरचना के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से सरकार द्वारा 36 उपमण्डलीय आयु० चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, राजस्व उपमण्डलों पर खोले गये हैं। इन उपमण्डलीय कार्यालयों को वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण जिला मुख्यालय से किया गया है। इस निर्णय/ब्यवस्था से न केवल प्रशासनिक ढांचा संरचित हुआ है बल्कि जनता को समीपतन/उनके घर के पास सुचारू स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुईं तथा स्वा० केन्द्रों व अस्पतालों का शीध्र व सक्रिय संचालन भी हो रहा है।

चिकित्सा राहत

प्राथमिक आयुर्वेदिक संस्थान

विभाग के पास प्राथमिक व द्वितीय स्तर के संस्थानों का एक बड़ा जाल है। स्वास्थ्य की प्रथम मूल ईकाई आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र है जो 3000 से 5000 जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं।

सकैन्डरी / माध्यमिक स्तर के संस्थान

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय माध्यमिक स्वास्थ्य देख-रेख की ईकाई है। यह अस्पताल सामान्य तौर से जिला स्तर/उप मण्डलीय स्तर पर स्थापित है। इन अतंरंग अस्पतालों में 10/20 बिस्तरों का प्रावधान है। प्रत्येक अस्पताल में 2-2 आ० चि० अधिकारी के अतिरिक्त एक विशेषज्ञ के पद स्वीकृत है।

क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय संस्थान

क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय ईकाई के रूप में विभाग के अन्तर्गत 2 क्षेत्रिय आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला, जिला कांगड़ा और शिमला-2 में कार्यरत है जिनमें क्रमशः 200/50 बिस्तरों की व्यवस्था है। राजीव गांधी आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला राज्य के आयुर्वेदिक विशेषज्ञता अस्पताल के रूप में जाना जाता है। 200 बिस्तरीय होने के साथ-2 इसमें 5 चिकित्सा विशेषज्ञ विभाग भी कार्यरत हैं।

(ब) नई सेवाएं/योजनाएं:

राज्य के सभी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में बरिष्ठ नागरिकों के लिए मंगलवार के स्थान पर प्रत्येक बुधवार को विशेष बहिरंग रोगी विभाग संचालित किए गए हैं।

इस स्कीम के तहत भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा इस विभाग को देश का नोडल राज्य घोषित किया है।

हि.प्र. भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एंव यूनानी बोर्ड
तथा होम्योपैथिक कौसिन्ल जिसके प्रमुख रजिस्ट्रार होते हैं, विभागाध्यक्ष,
जो पंजीकरण बोर्ड/कौसिल के अध्यक्ष है, के अधीन कार्य करते हैं।

1. (अ) निदेशालय स्तर पर दर्वाइश्यां बनाने हेतु नियम/ विनियमः

- | | |
|--|-----|
| 1) दर्वाइश्या बनाने हेतु जारी किये गये नये लाईसेंस | 18 |
| 2) जारी किए गए जी.पी..एम प्रमाण पत्र | 18 |
| 3) अनुमोदित फार्मूले | 912 |
| 4) दर्वाइ बनाने वाली ईकाई का निरीक्षण किया गया | 35 |
| 5) भारत सरकार के निर्देशानुसार औषध निर्माण लाईसेंस | 01 |

जारी करने हेतु गठित विशेषज्ञ समितियां

आयुर्वेद विभाग में स्वीकृत/कार्यालय स्टाफ का विवरण निम्न
प्रकार से है:

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	निदेशक	01	01
2	अतिरिक्त /संयुक्त निदेशक	01	01
3	प्रशासक	01	...	01
4	सहायक निदेशक	02	02
5	विशेष कार्य अधिकारी अभिहित (Designated)	01	01 केवल मनोनीत	01
6	प्रवन्धक आयुर्वेदिक फार्मसी	03	—	03
7.	चिकित्सा अधीक्षक	02	01	01
8.	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी	12	09	03.
9.	वैज्ञानिक अधिकारी	01	01
10.	विकिरण विज्ञानी/रेडियोलोजिस्ट	01	01
11.	निश्चेतन अधिकारी/ऐनेस्थिस्ट	01	01
12.	प्रधानाचार्य	01	01
13.	प्रोफैसर	11	07	04
14.	रीडर	25	21	04
15.	परियोजना अधिकारी	01	01
16.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक	01	01

17.	बरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक	17	03	14
18.	वरिष्ठ लैक्चरर	15	10	05
19.	लैक्चरर	12	13
20.	वनस्पतिज्ञ	01	01
21.	फर्मासियूटिकल कैमिस्ट	01	01
22.	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी	36	30	06
23.	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी	1154	904	250
24.	होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी	14	11	03
25.	यूनानी चिकित्सा अधिकारी	03	01	02
26.	आमची चिकित्सक	04	01	03
27.	प्रभारी हरवेशियम	01	—	01
28.	अधीक्षक ग्रेड-1	05	03	02
29.	अधीक्षक ग्रेड-11	20	20	—
30.	अनुभाग अधिकारी (लेखा)	03	02	01
31.	वरिष्ठ सहायक	45	45
32.	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	111	64	47
33.	निजि सचिव	01	01	—
34.	निजी सहायक	01	01
35.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	01	01
36.	कनिष्ठ आशुलिपिक	01	01
37.	आशुतंकक	04	02	02
38.	गार्डन इन्चार्ज	04	04	...
39.	आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट	1174	474	700
40.	होम्योपैथिक कम्पांउडर	14	13	01
41.	आमची डिस्पैन्सर	04	—	04
42.	स्टाफ नर्स	54	37	17
43.	वार्ड सिस्टर	03	03
44.	ए.एन.एम	190	154	36
45.	दाई/मिडवाईफ	504	504
46.	लैब तकनिषियन	38	18	20
47.	फिजियोथरैपिस्ट	01	—	01
48.	लैब अटैण्डेंट	18	15	03
49.	मकैनिक	03	01	02
50.	योगा अनुदेषक	01	—	01
51.	कलाकार	01	01	—
52.	सहायक लाईब्रेरियन	01	01	—

53.	बिजली मिस्त्री	01	01	—
54.	पलम्बर	01	01	—
55.	आप्रेशन थियेटर सहायक	01	—	01
56.	रेडियोग्राफर	01	01	—
57.	डार्क रूम सहायक	01	01
58.	सहायक वनस्पतिज्ञ	01	01	.
59.	वैज्ञानिक सहायक	02	...	02
60.	लैव सहायक अनुसंधान	02	01.	01
61.	चालक	19	19	...
62.	चर्तुर्थ श्रेणी	1083	563	520
63.	स्वच्छक	169	139	30
	कुल योग:	4806	3108	1699

बजट

वित्त वर्ष 2011–2012 के लिए विभाग का कुल वार्षिक मूल बजट ;योजना/गैर योजनाद्वारा में मु0 1,31,78,86,000 रुपये था जिसका ब्यौरा निम्न से है सभी अधिनस्थ कार्यालयों के लिये विद्यमान अनुदेशों के अनुसार वितरित किया गया :—

- | | | |
|----|-----------|----------------|
| 1. | योजना | 17,45,00,000 |
| 2. | गैर योजना | 1,14,33,86,000 |

अन्य सम्बद्ध संस्थान :

राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला जिला कांगड़ा हि0प्र0।

परिचय

प्रदेश में राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला जिला कांगड़ा में चलाया जा रहा है जिसमें कि भारतवर्ष में अपना एक स्थान बनाया है तथा भारतवर्ष के उन्नत संस्थानों में से एक है। यह महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश सरकार का एक मात्र महाविद्यालय आयुर्वेद के प्रषिक्षण संस्थान है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 20 पर जिला कांगड़ा के अंतर्गत पपरोला कस्बे में रमणीक पहाड़ियों से धिरा हुआ है जो प्राकृतिक सौदर्य व महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियों से परिपूर्ण है। इसका निकटवर्ती रेलवे स्टेशन बैजनाथ पपरोला है और समीपवर्ती हवाई अड्डा लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर गगल में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाविद्यालय 38 वर्ष पुराना है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसका अधिग्रहण 31 वर्ष पूर्व किया था। यह महाविद्यालय हि0 प्र0 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है तथा यहां छात्रों की प्रवेश क्षमता 50 छात्र प्रतिवर्ष है।

उद्देश्य एवं लक्ष्यः

महाविद्यालय स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं के निर्माण के अतिरिक्त आयुर्वेदिक पद्धति को प्रोन्नति एवं प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है, लक्ष्य एवं उद्देश्य अधोलिखित हैः—

- 1 आयुर्वेद की उन्नति और विकास को बढ़ावा देना।
- 2 सक्षम आयुर्वेद स्नातक/स्नातकोत्तर पैदा करना जो कि सम्पूर्ण राज्य में आयुर्वेदीय स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें और रोगियों को आयुर्वेदीय पद्धति से रोग मुक्त करे।
- 3 स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान कर वैज्ञानिक ढंग से आयुर्वेदिक औषधियों का पुनर्मूल्यांकन करना।
- 4 महाविद्यालय के चिकित्सालय में विशेषज्ञों द्वारा रोगियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना।
- 5 पूर्ण स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरे राज्यों से सम्पर्क स्थापित करना।
- 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुर्वेद के अध्यापकों और चिकित्सकों को सतत प्रशिक्षण प्रदान करके आधुनिक चिकित्सा अनुसंधानों और औषधियों की जानकारी उपलब्ध करवाना।
- 7 आयुर्वेद शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य का प्रचार एवं प्रसार, समय समय पर शोध पत्रों, पुस्तकों, संभाषणों, कार्यकलापों एवं कैंप आदि के द्वारा करना। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं सहायक कार्यक्रमों को करवाना।

वर्तमान में महाविद्यालय में निम्न कोर्स चल रहे हैंः—

- 1 महाविद्यालय में साड़े पाँच साल का आयुर्वेद स्नातक स्तर का बी.ए.एम.एस. कोर्स एक साल की इंटरनशिप के साथ।
- 2 महाविद्यालय में तीन साल का स्नातकोत्तर एम.डी. आयुर्वेद और एम.एस. आयुर्वेद का कोर्स निम्न विषयों में करवाया जाता हैः— कायाचिकित्सा (इंटरनल मैडिसिन), शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र (ई.एन.टी.), प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, संहिता एवं सिद्धांत, रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, बाल रोग, रोग निदान, द्रव्य गुण, पंचकर्म एवं स्वास्थ्यवृत्त इत्यादि।
- 3 आयुर्वेद के प्राध्यापकों के लिए समय-समय पर रि-ओरिएनटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम।
- 4 आयुर्वेद स्नातकों के लिए विभिन्न विषयों में एक वर्ष का हाऊस जॉब।

5 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए राज्य और अन्तर्राज्यीय स्तर पर सी.एम.ई प्रोग्राम।

महाविद्यालय भारतीय केन्द्रिय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है जो आयुर्वेद शिक्षा का नियामक है। यह स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालयों में सीटों की संख्या का निर्धारण करता है। केन्द्रीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली द्वारा जारी निदर्शनों के अनुसार महाविद्यालय की गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला द्वारा विधिवत् रूप से मान्यता प्राप्त है। विश्वविद्यालय आयुर्वेद की शिक्षा बोर्ड एवं आयुर्वेद समिति के द्वारा दिये गए निदर्शनों के अनुसार स्वतंत्र परीक्षा का संचालन करता है। विश्वविद्यालय उर्तीण हुए छात्रों को उपाधि प्रदान करता है। स्नातक / स्नातकोत्तर कोर्स के लिए महाविद्यालय में निम्न सीटें हैं:-

स्नातक

1) बी.ए.एम.एस	50
---------------	----

एम.डी./एम.एस. (कुल 36 सीटें)

1. काया चिकित्सा	06
2 शल्य तन्त्र	04
3 शालक्य तन्त्र	04
4 प्रसूति एवं शरीर रोग निदान	03
5 समहिता सिद्धान्त	04
6 रस शास्त्र	—
7. स्वास्थ्य वृत	03
8. रोग निदान	03
9. बाल रोग	03
10. द्रव्य गुण	03
11. पंचकर्मा	03

राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय शैक्षणिक विभागों का विवरण:-

1	कायचिकित्सा	..	स्नातकोत्तर विभाग
2	शल्य तन्त्र	..	स्नातकोत्तर विभाग
3	शालक्य तन्त्र	..	स्नातकोत्तर विभाग
4	संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	..	स्नातकोत्तर विभाग
5	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	..	स्नातकोत्तर विभाग

6	रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना	..	स्नातकोत्तर विभाग
7	बाल रोग	..	स्नातकोत्तर विभाग
8	पंचकर्म	..	स्नातकोत्तर विभाग
9	रोग निदान	..	स्नातकोत्तर विभाग
10	स्वास्थ वृत्त एवं योग	..	स्नातकोत्तर विभाग
11	द्रव्य गुण	..	स्नातकोत्तर विभाग
12	रचना शरीर	..	स्नातक विभाग
13	शरीर क्रिया	..	स्नातक विभाग
14	अगद तंत्र	..	स्नातक विभाग

महाविद्यालय में वर्ष 2011–12 के शैक्षणिक परिणाम निम्न प्रकार से रहें:—

कक्षा का नाम	उत्तीर्ण प्रतिशतता
--------------	--------------------

स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस.)

प्रथम वर्ष 95 प्रतिशत

स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस.) अन्तिम वर्ष

कायाचिकित्सा	..	100 प्रतिशत
शाल्य तंत्र	..	100 प्रतिशत
शालक्य तंत्र	.	100 प्रतिशत
समहिता एवं सिद्धांत	.	100 प्रतिशत
रस शास्त्र	..	100 प्रतिशत
प्रसूति तंत्र	..	100 प्रतिशत एम.डी.एम.एस.(आयु०)

महाविद्यालय का क्षेत्रफल और आवास सुविधाओं का विवरण:

महाविद्यालय परिसर 13.47.57 भूमि पर स्थित है जिसमें एक प्रशासनिक एवं लाईब्रेरी ब्लॉक, महाविद्यालय का पुराना भवन, दो अस्पताल भवन, फार्मसी, छात्रा एवं छात्र छात्रावास, प्रधानाचार्य निवास, वार्डन निवास और सरकारी कर्मचारी आवास में टाईप-चार(6),टाईप-तीन (6), टाईप-दो (6),टाईप-एक (6)आवास विद्यमान है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा राजकीय स्नाताकोत्तर महाविद्यालय,पपरोला के विस्तार हेतु 1.27.45 हैक्टेयर भूमि का

अधिग्रहण 6.09.2010 को किया जा चूका है जिस पर निवेदिता
आयुर्वेदिक कन्या छात्रावास का निमार्ण कार्य किया जा रहा है ।

महाविद्यालय के साथ संलग्न क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयः

महाविद्यालय में दो सौ पन्द्रह बिस्तरीय अस्पताल हैं जहां पर बहिरंग और अंतरग विभाग में रोगियों का आयुर्वेदिक औषधियों से उपचार किया जाता है। यहां बहिरंग और अंतरग विभाग में आवश्यकतानुसार सभी उपकरणों से सुसज्जित आप्रेशन थियेटर, लेबर रूम, आर्थो यूनिट, नेत्र रोग, डेंटल यूनिट, किलनिकल और बायोकमिस्ट्री लैबोरेटरी, चर्म रोग यूनिट, ऐक्स-रे, अल्ट्रा साउंड, ई.सी.,जी., टी.एम.टी. तथा स्पाईरोमैटरी इत्यादि सुविधा उपलब्ध हैं। यहां पर पंचकर्म, क्षारसूत्र, फिजियोथेरेपी और टीकाकरण यूनिट भी कार्यरत हैं। अस्पताल के अन्दर रोगियों की सुविधा के लिए मैडिकल स्टोर, कैटीन व आपातकालीन सेवाएं की सुविधा 24 घन्टे उपलब्ध हैं।

अस्पताल द्वारा वर्ष 2011–12 में प्रदान की गई सेवाओं का विवरणः

क्रम सं.	सेवाओं का विवरण	वर्ष के दौरान उपचारित किये गये रोगियों का विवरण
1	बहिरंग विभाग (पंजीकृत रोगी)	78030
2	अंतरग विभाग के रोगियों की संख्या	6696
3	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उपचारित रोगी	674
4	प्रसव	831 सामान्य प्रसव – 758 फोरसेप प्रसव – 37 सजेरियन – 36
5.	अनुसंधान / लैब टैस्ट	67135
6.	ऐक्स-रे	3883
7.	अल्ट्रा सांउड	4106
8.	ई.सी.जी.	1132
9.	टी.एम.टी	54
10.	पंचकर्म के रोगियों की संख्या	3776
11.	क्षार सूत्र के रोगियों की संख्या	3207

महाविद्यालय फार्मेसी

महाविद्यालय परिसर में आधुनिक मशीनों और उपकरणों से सुसज्जित एक आयुर्वेदिक फार्मेसी है। इस फार्मेसी का प्रयोग महाविद्यालय के अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है। महाविद्यालय फार्मेसी में औषध निर्माण अच्छी गुणवता, उच्च स्तर पर आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति द्वारा किया जाता है। महाविद्यालय फार्मेसी में इस वर्ष 30058.900 किलो ग्राम की उनतालीस भिन्न-भिन्न फार्मुलेशन की औषधियों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त 227.472 किलो ग्राम की 15 विभिन्न अनुसंधान औषध का निर्माण स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा किया गया और लगभग 4.714 किलोग्राम की 25 विभिन्न फार्मुलेशन औषध का निर्माण बी.ए.एम.एस. के छात्रों द्वारा प्रयोगात्मक कार्य के दौरान किया गया।

हर्बल गार्डन

इस समय महाविद्यालय के साथ सम्बद्ध हर्बल गार्डन जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी में विभिन्न प्रजाति की जड़ी-बूटियां सरल पहचान के लिए उगाई जाती है। महाविद्यालय का अपना हर्बल गार्डन गांव मझौरना में स्थापित किया जा रहा है। महाविद्यालय परिसर में रस शास्त्र विभाग का अपना एक म्यूजियम और हरबेरियम स्थापित किया गया है जिसमें लगभग 200 से अधिक प्रजाति के औषधीय पौधे गमलो में उगाए गए हैं जिसके बारे में छात्रों को विस्तृत अध्ययन व जानकारी दी जाती है।

महाविद्यालय में छात्रावास सुविधा:

महाविद्यालय में छात्र व छात्राओं के लिए अलग-2 छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है जिसमें 100 छात्रों व 105 छात्राओं को रहने की व्यवस्था है। यह छात्रावास महाविद्यालय के स्नातक व

स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं के लिए सहरूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। केन्द्रीय सहायता 117.69 लाख रुपये की लागत से एक और छात्रा छात्रावास का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चूका है।

महाविद्यालय मे वर्ष 2011–12 के लिए बजट प्रावधान

बजट प्रावधान	6,42,40,000.00	रुपये
खर्चा	6,84,22,232.00	रुपये

सरकार द्वारा स्वीकृत / प्रदान मुबलिक 11811000.00 लाख रुपये में से 11810461.00 का मानदेय (स्टाईफंड) योग्य स्नातकोत्तर छात्रों में आवंटित किया गया।

नई योजनाएँ :—

1. आयुर्वेदिक फार्मसी कालेज की स्थापना :

बी0आयुर्वेदिक फार्मसी आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में की गई जिसका पाठ्यक्रम हि0 प्रदेश विश्वविद्यालय से अनुमोदित है। इस कोर्स के लिए 30 सीटों की संख्या है। इस कोर्स हेतु दूसरे बैच की कक्षायें आरम्भ की गई।

2. सैंटर आफ एक्सीलैन्स ईन द्रव्यगुणा एवं औषधिय पौध की योजना का कार्यन्वयन:

उपरोक्त परियोजना का कार्यन्वयन वन सोसाईटी द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत जड़ी-बूटियों से सम्बन्धित अनुसंधान हेतु एवं प्रयोगशाला का निर्माण हिमालय जैव सम्पदा प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.), पालमपुर द्वारा अनुसन्धान संस्थान, जोगिन्द्रनगर में किया जा रहा है। इस प्रयोगशाला का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री, हि0प्र० द्वारा 24.04.2012 को किया गया और निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिये प्रोजैक्ट इनवैस्टीगेटर एवं

बोटनिस्ट के पद भर दिये गये हैं तथा अन्य पदों को भरने हेतु प्रक्रिया जारी है ।

3. क्षैत्रिय जरारोग उत्कृष्ट संस्थान की स्थापना ।

क्षैत्रिय जरारोग उत्कृष्ट संस्थान की स्थापना राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों को विशेष चिकित्सा सूविधा प्रदान करने का कार्यक्रम है । इस योजना के कार्यन्वयन हेतु भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा 5.00 करोड़ की राशि विभिन्न मदों के लिए स्वीकृत की गई है । योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सूविधा उपलब्ध करवाने हेतु विशेष ओ.पी.डी. आरम्भ की गई है जिसमें लगभग 6006 के लगभग रोगी लाभान्वित हुये हैं । इसके अन्तर्गत 20 बिस्तरीय जरा रोग पंचकर्मा अस्पताल खोलने की योजना है जिस पर कार्य आरम्भ किया जा चूका है ।

इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में वरिष्ठ नागरिकों हेतु 10 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 4103 मरीजों की जाँच की गई । योजना के तहत सी०एम०ई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों के लोगों ने भाग लिया ।

खद्ध राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसियां:

विभाग के अन्तर्गत ३ आयुर्वेदिक फार्मसियां माजरा जिला सिरमौर, जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी एंव पपरोला जिला कांगड़ा में कार्यरत हैं। जोगिन्द्रनगर व माजरा की फार्मसियां वर्ष १९५२-५३ में स्थापित की गई थीं। यह फार्मसियां तभी से स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रही हैं तथा प्रदेश में विभाग के आयु० संस्थानों को निरन्तर दवाईयां निर्मित कर आपूर्ति कर रही हैं।

आयुर्वेदिक फार्मसी माजरा जिला सिरमौर

1	स्थापना की तिथि	1952	
2	क्षेत्रफल	7.3 बिघा	
3	निर्मित औषधियों पर लागत	67,60,657	
4	कच्ची जड़ी-बूटियों की खरीद पर व्यय	5,53,589	
5	बजट/व्यय	स्वीकृत	व्यय
		<u>75,37,500/-</u>	67,24,356/-

टिप्पणी: वर्ष के दौरान लक्ष्य निर्धारण के अनुसार निर्मित औषधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:

आसव कक्ष:

वर्ष २०११-१२ के लिए निर्धारित लक्ष्य	३/२०११ तक लक्ष्य प्राप्ति	२०११-२०१२ के दौरान निर्मित औषधियों पर कुल लागत
33216 लीटर	33641 लीटर	4621995 मार्किट वैल्यू
कुल 16 औषधियां	कुल 16 औषधियां	

भस्म कक्ष

7400 किलोग्राम	7893.41 किलोग्राम	2138662.426 मार्किट वैल्यू
कुल 11 औषधियां	कुल 11 औषधियां	

राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी जोगिन्द्रनगर :

;1द्व

वर्ष 2011–12 में निर्धारित लक्ष्य एंव औषध निर्माण:

क्रमांक	लक्ष्य		लक्ष्य प्राप्ति		
	निर्मित की जाने वाली औषधियों की संख्या	मात्रा	निर्मित औषधियों की संख्या	मात्रा	राशि रूपये में
1	54	37543 कि0ग्रा0	460	29673 कि0ग्रा	1ए44ए00576

2. उपरोक्त के अतिरिक्त बी.फार्मसी, राज0आयुर्वेदिक फार्मसी, जोगिन्द्रनगर एवं राजीव गांधी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला के छात्रों को प्रैक्टिकल हेतु औषधियों का निर्माण किया गया ।

3. अन्य:

- वर्ष 2011–2012 में स्थानीय लघू शिवरात्री मेले, जोगिन्द्रनगर में फार्मसी द्वारा निर्मित औषधियों की प्रदर्शनी लगाई गई ।
- वर्ष 2011–2012 में आयुर्वेदिक स्नात्कोत्तर छात्रों की कियात्मक औषधियों का निर्माण कार्य भी फार्मसी में फार्मसी के भण्डार लक्ष्य के अतिरिक्त किया गया ।
- वर्ष 2011–2012 में प्रदेश व देश के विभिन्न आयुर्वेदिक स्नातक / आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों तथा प्राच्यापकों द्वारा शैक्षणिक व कियात्मक प्रशिक्षण के लिए एवं अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा फार्मसी का भ्रमण किया गया ।

4. बजट / व्यय

विवरण (आवंटित बजट)	राशि रू. में	व्यय रू. में
2011–12	1,29,03,125	1,00,01,263
निर्देशालय व सिविल सप्लाई को प्रेषित बिल	28,76,576	28,76,576
कुल	1,57,79,701	1,28,77,839

5.प्राप्तियाँ

विवरण	लेखा शीर्ष	राशि रू. में
107.सम वृ उमकपबपदम	0210–01–02–107	32782
01.त्त्व	0210–01–02–01	6412
08. नबजपवद	0210–01–02–08	41600
11.डपेबण त्मबमपचज. त्ज	0070–60–800–01	50
कुल प्राप्तियाँ:-		80,844

गद्व औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर

आयुष विभाग के अन्तर्गत कार्यरत औषध परीक्षण प्रयोगशाला एक मान्यता प्राप्त संविधानिक निकाय है। इग एण्ड कोस्मैटिक एक्ट का अध्याय—4; इद्व अनन्य/एक मात्र रूप से आयुर्वेद सिद्ध एवं युनानी औषधियों पर नियंत्रण करता है। इग एण्ड कोस्मैटिक एक्ट के प्रावधान की धाराओं को व्यव्हारिक रूप में लाने हेतु विभिन्न संविधानिक निकायों का गठन किया गया है। नियम 160; इद्व के अन्तर्गत आयुर्वेद सिद्धा एवं यूनानी औषधियों की प्रयोगशालाओं की स्थापना की व्यवस्था हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है इस एक्ट की धारा 33 म्ठ के अन्तर्गत निर्यात की जाने वाली आयुर्वेद सिद्धा एवं युनानी औषधियों में विद्यमान भारी खनिजों की मात्रा की जांच को अनिवार्य बनाया गया है।

औषध परीक्षण प्रयोगशाला का वास्तविक उद्देश्यः

जोगिन्द्रनगर स्थित औषध परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत निम्नलिखित वास्तविक उद्देश्यों के साथ की गई है:—

1. इग एण्ड कोस्मैटिक एक्ट के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति की एकल एवं यौगिक औषधियों की जांच एवं उनका परीक्षण करना।
2. राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसियों से प्राप्त होने वाले एकल एवं निर्मित औषधियों के नमूनों की जांच एवं परीक्षण।
3. प्रदेश में कार्यरत निजि फार्मसियों से प्राप्त आयुर्वेदिक औषधियों के नमूनों की जांच एवं परीक्षण।
4. विभिन्न प्रायोजित अभिकरणों/माध्यमों से आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवता में नियंत्रण सम्बन्धी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का अधिग्रहण करना।

परीक्षण संम्बन्धी कार्य संचालन का विवरण

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर को एक आयुर्वेद संस्था के रूप में चिह्नित किया गया है जो कि आयुर्वेद सिद्धा एवं युनानी औषधियों के परीक्षण कार्य को करने में सक्षम है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए औषध परीक्षण प्रयोगशाला की सरचना को और सुदृढ़ीकरण करने हेतु एक करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर आयुर्वेदिक फार्माकोपिया आफ इंडिया जो कि औषधियों के मानकों का वैधानिक दस्तावेज है, में दर्शाये गये संलेखों के अनुसार परीक्षण कार्य कर रहा है। इस प्रयोगशाला द्वारा 5 आयुर्वेदिक औषधियों पर किये गये कार्य के निबन्ध इच्छा के पांचवें खण्ड में प्रकाशित किये गये हैं। औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर ने वर्ष 2011–12 में 1020 आयुर्वेदिक जांच नमूनों का परीक्षण कार्य किया जिससे 0.83 लाख रु. का राजस्व प्राप्त हुआ।

उपलब्धियाँ :-

आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश के दिशा-निर्दर्शी की अनुपालना करते हुए औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर ने औषधियों के परीक्षण कार्य में विभाग की अपेक्षाओं के अनुरूप सराहनीय कार्य किया है।

औषध परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा पिछले पांच वर्षों में किये गये

औषधियों के जांच नमूनों का विवरण:-

फार्माकोपिया आफ इंडिया जो कि औषधियों के मानकों का वैधानिक दस्तावेज है में दर्शाये गये संलेखों के अनुसार परीक्षण कार्य कर रहा है। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले जांच नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट राजकीय विश्लेषक द्वारा छाग एण्ड कोस्मैटिक एक्ट 1940 के नियमों के अन्तर्गत फार्म-50(Ref.160-D.F) पर हस्ताक्षर करके दी जाती है।

औषध परीक्षण कार्य से संम्बन्धित लक्ष्य का वार्षिक निर्धारण किया जाता है। वर्ष 2011–12 में औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर ने 1020 जांच नमूनों का परीक्षण कार्य किया और देश में कार्यरत आयुर्वेदिक प्रयोगशालाओं में से इस प्रयोगशाला को भारत सरकार द्वारा द्वितीय स्थान पर दर्शाया गया है। पिछले पांच वर्षों में औषध परीक्षण कार्य का विवरण निम्न है:-

	एकल औषध		यौगिक औषध				
वर्ष	राजकीय फार्मसिया	निजी फार्मसिया	राजकीय फार्मसिया	निजी फार्मसिया	औषध नियंत्रक	कुल	राजस्व प्राप्ति लाखों में
2007–08	87	28	91	400	14	620	2.14
2008–09	58	23	113	252	10	463	1.41
2009–10	69	28	110	330	20	557	1.79
2010–11	82	15	87	355	123	662	1.84
2011–12	27	—	142	166	685	1020	0.83

फार्माकोपियल मानकों के अनुसार जो औषधियां सही नहीं पाई गई उनकी संख्या = 21 {2011-2012 }

घ)

अनुसंधान संस्थान जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी

परिचय

हिमाचल प्रदेश राज्य देश के उत्तर पश्चिम भाग में 30^{22'40''} उत्तर से 33 12'20' और 75 45'5'' ई के मध्य स्थित है। हिमाचल प्रदेश बहुत लम्बे समय से प्राचीन एवं महान विद्वानों की अध्यात्मिक विषयों की मनुष्य जाति की भलाई की शोध स्थली रही है। आयुर्वेदिक सहिताओं में यह वर्णित है कि जो औषधिय पौधे, हिमालय क्षेत्र में पाये जाते हैं वे श्रेष्ठ हैं एवं कई असाध्य रोगों के निदान एवं चिकित्सा की औषधियों का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऐसी ही एक सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में एन्जीयोस्पर्म की लगभग 3000 प्रजातियों में से लगभग 500 पौधों में औषधीय गुण पाये जाते हैं।

गर्म से लेकर अति ठंडी जलवायु परिस्थितियों के कारण हिमाचल प्रदेश वनस्पति व जन्तुओं का एक विशेष प्राकृतिक आवास है। हिमालय की भौगोलिक स्थिति इस विविधता का मूल कारण है। राज्य की विविध कृषि, जलवायु परिस्थिती के कारण, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेषता है। मुख्य रूप से राज्य में चार कृषि जलवायु क्षेत्र निम्न प्रकार से पाये जाते हैं।

1. गर्म जलवायु वाले कम उच्चाई वाले पहाड़ी क्षेत्र (शिवालिक शृंखलायें, समुद्र से 800 मीटर तक)
2. मध्य उच्चाई वाले पहाड़ी अर्ध ठंडे क्षेत्र (800 से 1800 मीटर के मध्य वाले)
3. उच्चे नम शीतोष्ण क्षेत्र और अर्ध एल्पाइन क्षेत्र (2800 मीटर से उच्चें)
4. उच्च शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र(हिमालय की उच्चाई वाले क्षेत्र)

वर्तमान में दवाई निर्माता कम्पनियों की 20 प्रतिशत से अधिक सालाना वृद्धि है। केवल हिंगोर में प्राईवेट क्षेत्र में कुछ समय पहले आयुर्वेदिक दवाई बनाने की इकाईयां नाम मात्र को थीं जो आज 156 के लगभग है। इससे प्रतीत होता है कि आयुर्वेदिक दवाईयों की बाजार में मांग तेजी से बढ़ रही है। मुख्यतः कच्चे हर्बल उत्पाद की आपूर्ति जंगलों से एकत्र करके की जाती है।

आयुर्वेद विभाग जड़ी बूटी और दवाईयों का मुख्य प्रयोगकर्ता व उपभोक्ता होने के कारण, यह निर्णय लिया गया कि जोगिन्द्रनगर में एक केन्द्र स्थापित किया जाये जहां औषधीय पौधों के विभिन्न पहलुओं जैसे सर्वेक्षण, एकत्रिकरण, प्रयोग, संरक्षण और कृषि आदि पर शोध किया जाये। जोगिन्द्रनगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुराना विभाग का परिसर है जोकि औषधीय पौधों तथा गुणवत्ता नियन्त्रण एवं आयुर्वेदिक दवाईयों का निर्माण कर रहा है विभाग ने वर्ष 1994–95 से अपने जोगिन्द्रनगर के शोध केन्द्र पर जड़ी बूटियों की सम्पदा के विकास के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया हुआ है जिसमें जड़ी बूटियों के प्रोत्साहन, प्रयोग संरक्षण और प्रबन्धन पर कार्य किया जाता है। 19 अक्टूबर 1994 को तत्कालीन मुख्यमन्त्री ने जड़ी बूटियों के हरवेरियम का उद्घाटन किया था जिसमें जड़ी बूटियों से सम्बन्धित आलेख तथा पौधों के नमूने रखे जाते हैं।

हर्बल गार्डन

क. हर्बल गार्डन जोगिन्द्रनगर (अप्रैल 2011–मार्च 2012)

अ.	कुल उद्यान भूमि	24 एकड़
	उद्यान की गतिविधियों के लिए रक्षित भूमि	18 एकड़
	भविष्य की योजना के लिए रक्षित भूमि	5 एकड़
अ.1	भवन व अन्य निर्माणों के अधीन भूमि	2.61 एकड़
अ.2	बहुवर्षीय पौधों के अधीन भूमि	
	1. पेड़ों के अधीन क्षेत्र	3 एकड़
	2. बेलों व झाड़ियों के अधीन क्षेत्र	3 एकड़
	3. पौधों और घास के अधीन क्षेत्र	1 एकड़

अ.3	कृषि , कृषि तकनीक विकास, पोली हाउस, पौधशाला और बीज सम्बंधन के अधीन क्षेत्र	4 एकड़
अ.4	सिंचाई नालियों, टैंक व नाले	0.39 एकड़
अ.5	भूमि विकास अधीन क्षेत्र	1.5 एकड़
अ.6	प्रदेशनी क्षेत्र	अ.2 और अ.3
अ.7	सड़क, रास्ते	1.5 एकड़
ब.	हर्बल गार्डन में निर्माण	
ब.1	पोली हाउस आकार	6(2-25X 25 मी0,4-10X 40 मी0)
ब.2	जालीदार पौध गृह	2
ब.3	सुखाने व भण्डारण गृह निर्माण	1 (9 मी0X8मी0)
स.	अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक के कार्यों का व्यौरा	
स.1	भूमि की तैयारी	2 एकड़
स.2	पौध/पौध करतने	2000 वर्गमीटर
स.3	पोली हाउस में तैयार पौधे	13750 पौध
स.4	खुले में तैयार पौधे	1,50,000
स.4	पौध रोपण	30000एक वर्षीय, 3500 बहुवर्षीय
स.5	बीज व पौध का विपणन	70,370/- रुप्ये
स.6	पौधों का कृषिकरण व सम्बंधन (जीवक, जंगली प्याज, पाषाणभेद, स्टीविया इत्यादि	
स.7	प्रायोगिक कृषि / बीज सम्बंधन (मालकंगनी, शतावरी, सर्पगन्धा, तुलसी, कपूरतुलसी, तेजपत्र, ब्रह्मी, बच, हल्दी, वासा, सफेद मूसली इत्यादि)	
ग.	नई जड़ी-बूटियों उगाई गई:- चिरायिता एवम ममीरा, लावेण्डर	
व	अकरकरा आदि)	

घ. प्रायोगिक कृषि से उत्पादन

क्रम सं0	औषधियों के नाम	मात्रा(लगभग)
1.	तुलसी	150 कि0 ग्राम
2.	कपुर तुलसी	150 कि0ग्रा0
3.	आंवला	32 कि0 ग्राम
		सूखा, 12 कि0ग्रा0निश्कुल
4.	ब्रह्मी	150कि0 ग्राम हरा
5.	मण्डूकपर्णी	70 कि0 ग्राम हरा

6.	कतरीन	70कि० ग्राम सूखा
7.	हरड	145 कि० ग्राम (35 सूखा एवं 110किग्रा निष्कुल)
8.	बहेडा	114 कि० ग्राम साबुत, 117कि०ग्रा० निष्कुल
9.	गुदूची	150 कि०ग्रा०सूखा
10	दारूहरिद्रा	135कि०ग्रा०सूखी जड़ें
11.	निरगुन्डी	210 कि०ग्रा०
12.	जटी	3.200 कि०ग्रा०

च. वर्ष के दौरान बीज एकत्र

क्रम सं०	औषधियों के नाम	मात्रा(लगभग)
1.	संसवाई	1000 ग्राम
2	सतावरी	3000 ग्राम
3.	मालकंगनी	500 ग्राम
4.	वायविडंग	18000 ग्राम
5.	आंवला	300 ग्राम
6.	कपूर तुलसी	100 ग्राम
7.	भाभरी तुलसी	550 ग्राम
8.	रामतुलसी	1000 ग्राम
9.	श्याम तुलसी	100 ग्राम
10.	सर्पगन्धा	1800 ग्राम
11.	कासमरडचर्कमरड	700 ग्राम
12.	कालमेघ	400 ग्राम
13.	लाजवंती	500 ग्राम
14.	वनपलान्दु	200 ग्राम
15.	मधुपत्री	100 ग्राम
16.	बला	500 ग्राम
17	लताकस्तुरी	1600 ग्राम
18.	हरड	3000 ग्राम
19.	बेहरा	2000 ग्राम

छ. लिफाफों में तैयार पौधे:-

क्रम सं०	औषधियों के नाम	मात्रा
1.	वासा	100
2.	संसवाई	500
3.	मालकंगनी	1200
4.	वायविडंग	800
5.	आंवला	4000
6.	तेजपत्रा	1000
7.	सर्पगन्धा	1400

8.	हरड	9000
9.	बहेडा	1500
10.	अष्टगंधा	1000
11.	जिंगो	100
12.	रुद्राक्ष	60
13.	अर्जुन	400
14.	पिपली	200
15.	पुत्रजीव	150
16.	दालचीनी	30
17.	रखाल	100
18.	मधुपत्री	1000
19.	जामुन	100
20.	कर्पुर	1100
21.	शतावर	800
22.	सफेद मूसली	1500
23.	ब्रह्मी	1700

ज. वर्मीकल्यार खाद

06 किवंटल

प. अन्य आवश्यक कार्य एवं गतिविधियां :-

1. समय—समय पर औषधीय पौधों से खरपतवार निकासी व निराई गुडाई।
2. नर्सरी क्षेत्र, पोली हाउस और गमलों को पानी देना व खरपतवार नियन्त्रण।
3. औषधिय पौधों का आयुर्वेदिक संस्थानों/औषधालयों को उनके परिसर में लगाने हेतु निशल्क वितरण जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा निर्देश जारी किये गए थे। इस वर्ष वृत्त चिकित्सालय, जोगिन्द्रनगर, आयुर्वेदिक औषधालय मटरू, मकरेडी व भराणु को औषधिय पौधे वितरित किये गए।
4. किसानों, छात्रों और अन्य आगन्तुकों को गार्डन का भ्रमण करवाया तथा जानकारी दी गई।
5. वर्मीकम्पोस्ट व गली सड़ी खाद को समय—समय पर मण्डूकपर्णी, ब्रह्मी तथा बहुवर्षीय पौधों में डाला गया।
6. हर्बल गार्डन से अबांछित झाड़ियों तथा खरपतवार को कटवाया गया।

7. बहुवर्षीय पौधों की कटाई छंटाई की गई।
8. आदर्श नर्सरिस के विकास हेतु भी कार्य किये जा रहे हैं।

4 पोलीहाउसस व एक शैड उच्च औषधियों की सुरक्षा हेतु एस.डी.एस. सी.ओ., पालमपुर द्वारा तैयार किया गया है।

प्रशिक्षण और प्रसार गतिविधियां

अ. किसान प्रशिक्षण शिविर

राज्य में किसानों तथा अन्य लोगों के लिये किसान प्रशिक्षण शिविरों तथा प्रर्दशनियों का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली औषधीय पौधे के पहचान, संरक्षण, सम्बर्धन, कृषिकरण तथा प्रयोग के महत्व बारे जागरूकता लाई जा सके। लोगों को शिविरों में घर के आसपास पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के प्रयोग की जानकारी दी जाती है ताकि इन जड़ी बूटियों से सस्ते में भोजन सामग्री तथा अन्य गुणवत्ता युक्त पदार्थ प्राप्त किये जा सकें। प्रयोग के तौर पर लोगों को आवंला, अजवायन, मालकंगनी, एरंड, वला, सनूही, तुलसी, भूंगराज, बुरांस, ब्रह्मी, गिलाये, गुलाब, पुदीना, हरड़, बहेड़ा आदि के उत्पाद बनाने सिखाये जाते हैं। विभिन्न प्रकार के तेल जैसे सिर में लगाने तथा दर्द निवारक तेल बनाने भी सिखाये जाते हैं। इन विषयों पर जानकारी देने के लिये सस्ती दरों पर घर में ईलाज की श्रृंखला तैयार की गई है जो लोगों को जानकारी प्रदान करती है। इसके लिये किसानों को संस्थान से बाहर प्रर्दशनियां लगाकर जागरूक किया जाता है। किसानों तथा अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार से पौधों के श्रेणीकृत करके सस्ती दवाईयों के उपयोग के बारे में बताया जाता है जैसे जच्चा—बच्चा, पंचकर्म, और बुढ़ापे में प्रयोग होने वाली जड़ी बूटियाँ आदि। डी० एफ०ओ० और बी०डी०ओ० से पत्राचार करके भी लोगों को जानकारी प्रदान की जाती है।

वर्ष 2011–12 के दौरान लगाये गये विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया जिसका विवरण निम्न से है :—

1	प्रशिक्षण शिविर	80
2	एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर	22
3.	तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर	05
4.	पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर	02
4.	किसान जागरूकता भ्रष्ट	51
5	किसानलाभकर्ता	1664
6.	अन्य लाभकर्ता	837
5.	विभागीय प्रदर्शनी	3
	1.जोगिन्द्रनगर मेला	1.4.2011 से 5.4.2011
	2.रैडकास मेला, जोगिन्द्रनगर	01.12.2011
	3.भारत निर्माण जन सूचना अभियान, कुल्लू 26–28 दिसम्बर, 2011	

इन्सटीट्यूशनल चार्जेस से एकत्र फीस 14960/-रु.

हरबेरियम

उद्देश्यः—

- औषधीय पौधों के नमूनों के पहचान कर व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित व संग्रहित करना ।
- प्रयोज्य—अंग के अनुसार औषधीय पौधों के नमूनों का पंचाग, मूल, त्वक, पत्र, शुल एवं बीज आदि के अनुसार वग्रीकृत कर दर्शाना ।
- किसान एवं ग्रामीण लोगों, आयुर्वेदिक चिकित्सकों, आयुर्वेद के छात्रों, गैर सरकारी संस्थाओं, फार्मसी, उधोग, अनुसंधान आदि से जुड़े हुए लोगों को औषधीय पौधों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाना ।
- संस्थान द्वारा तैयार की गई औषधीय पौधों से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी सहित मुद्रित सामग्री का प्रदर्शन ।

1. औषधीय द्रव्यों के नमूनों का रख—रखाव:

वर्तमान में रखे गये हरबेरियम में 525 हर्बल द्रव्यों को साफ किया गया तथा जहां जहां आवश्यकता समझी गई वहां इन्हें कीटों आदि के प्रभाव से बचाने के लिए रासायनिक विष का प्रयोग करके सुरक्षित रखा गया । यहां यह लिखना उचित रहेगा कि इन नमूनों को समय—2 पर पैथोजन, वैकटिरिया, फफूंद व कीटों आदि से बचाने के लिए रसायनिक विष का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है ताकि यह नमूने हरबेरियम में सुरक्षित प्रदर्शित किये जा सकें ।

2. औषधीय पौधों के हरबेरियम शीटज पर संग्रहित नमूने

संग्रहालय में पूर्व संग्रहित लगभग 5090 औषधीय पौधों की हरबेरियम शीट्स का रख रखाव किया गया तथा इन्हें कीटों आदि के प्रभाव से बचाने के लिए रसायनिक विष का प्रयोग करके सुरक्षित रखा गया ।

3. वर्गीकरण (फैमलीज) की सूचना

हरबेरियम में प्रदर्शित 5090 हरबेरियम शीटज की 84 फैमलीज का साहित्य हरबेरियम शीटज के लिए बनाई अलमारियों(बाक्स)के बाहर प्रदर्शित किया गया ताकि हर प्रकार के आगन्तुकों को इनकी तुरन्त सूचना प्राप्त हो सके ।

4. सपीसिज कवर के कम्प्यूटरीकृत लेबल बदलना

वर्तमान में रखे गये 514 में से 300 सपीसिज कवर(फाईलें) जिस में औषधीय पौधों की हरबेरियम शीटज रखी जाती है के पुराने लेबल की जगह नए कम्प्यूटरीकृत लेबल लगाये गये तथा बाकी को बदलने का काम प्रगति पर है ।

5. अतिरिक्त हर्बल नमूने प्रदर्शित करने / पुराने नमूनों या हरबेरियम शीटज को बदलना

समय—2 पर कुछ हर्बल नमूनों एवं हरबेरियम शीटज को बदलना अनिवार्य हो जाता है और यह लगातार जारी रखने की प्रक्रिया है ।

इसके अन्तर्गत ब्रह्मी, मधुपत्री, सफेद मूसली, पुदीना, तुलसी, वाबुई तुलसी, कर्पूर तुलसी, कलमेघ, आंवला, हरड, बहेजा,, गिलाय, अष्वगन्धा, मण्डूकपर्णी, भृंगराज, चित्रक, वच, रखाल आदि के नमूनों को बदला गया ।

6. हर्बल पौधों के नमूनों को इकट्ठा करने के बाद एवं हरबेरियम शीटज बनाने एवं इनके प्रदर्शनी तक एक लम्बी प्रक्रिया है जैसे इनमें रसायनिक विष लगाना, हर्बल प्रैस में दबाना, हरबेरियम में रखे माउंट बोर्ड (जिस पर हर्बल नमूनों को चिपकाया जाता है) पर चिपकाना एवं संग्रहित कर प्रदर्शित करना ।

7. मुद्रित सामग्री की बढ़तरी

20 हर्बल पौधों से सम्बन्धित अतिरिक्त मुद्रित सामग्री को हरबेरियम में उनके फोटो सहित प्रदर्शित किया गया ।

8. आगन्तुकों को प्रशिक्षण / जानकारी

विभिन्न क्षेत्रों से आए 2000 आगन्तुकों जैसे किसान एवं ग्रामीण लोग, आयुर्वेद के छात्रों, आयुर्वेद चिकित्सकों, गैर सरकारी संस्थाओं, फार्मसी उधोग एवं अनुसंधान से जुड़े लोगों आदि को औषधीय पौधों के विभिन्न पहलुओं जैसे पहचान एवं उनका प्रयोग आदि के बारे में जानकारी दी गई ।

हरबेरियम में प्रदर्शित 31.3.2012 तक हर्बल नमूनों की स्थिती :

अ.हर्बल नमूने	
अ.1 विभिन्न हर्बल द्रव्य	
नमूने का नाम	संख्या
मूल औषधीय द्रव्य	96
त्वक औषधीय द्रव्य	54
पत्र औषधीय द्रव्य	68
फूल औषधीय द्रव्य	25

फल / बीज औषधीय द्रव्य	74
पंचाग औषधीय द्रव्य	52
कुल:	369
<hr/>	
अ.2 विशिष्ट तरह के हर्बल नमूने	
जच्चा एवं बच्चा के स्वास्थ्य में प्रयोग होने वाले औषधीय द्रव्य	30
मसालों के रूप में होने वाले औषधीय पौधे	20
विभिन्न बिमारियों में उपयोग होने वाले औषधीय पौधे	50
मिश्रित वर्गीकरण के अनुसार औषधीय पौधे	31
हर्बल गार्डन जोगिन्दरनगर में उगाए जाने वाले औषधीय पौधे	25
कुल:	156
कुल नमूने अ.1अ.2	525
<hr/>	
आ. हरबेरियम शीटज	5090
औषधीय पौधों के कुल फैमलीज	84
औषधीय पौधों के जैनरा	314
औषधीय पौधों के सपीशीज	504


वनस्पति अनुभाग

प्रोजनी हर्बल गार्डन की स्थापना :—अनुसंस्थान, जोगिन्दरनगर के परिसर में वानिकी विभाग हिं0 प्र0 के सौजन्य से Horticulture Technology उपेपवद के अन्तर्गत एक प्रोजनी हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। इस प्रोजनी (Progeny) हर्बल गार्डन में बढ़िया विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों के बीज तथा पौध तैयार कर प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर किसानों, बागवानों तथा अन्य संगठनों को दिए जा रहे हैं जोकि औषधीय पौधों की खेतीबाड़ी में रुचि रखते हैं।

25 विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधों को एकत्रित किया गया है व उन्हें संरक्षित करने का कार्य प्रगति पर है जिसके उपरान्त उनकी पहचान करने कर इनका सारा रिकार्ड हरबेरियम में रखा जाता है।

आयुर्वेदिक अनुसंधान जोगिन्द्रनगर, अन्य सरकारी विभागों तथा विश्वविद्यालयों / संस्थाओं से मिलकर औषधीय पौधों की जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जैसा कि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है :

अन्य विभागों तथा संस्थाओं के साथ कार्यक्रम



1 वन विभाग के साथ गतिविधियों:- यह विभाग औषधीय पौधों की खेतीबाड़ी सम्बन्धित जानकारी जैसे कि पौध तैयार करना, प्द'पजन - मा'पजन खेती बाड़ी वन विभाग को प्रदान कर रहा है।

1. वानिकी तथा कृषि विभाग हिं0 प्र0 के साथ गतिविधियों:- यह संस्थान तकनीकी जानकारी उक्त विभाग को प्रदान कर रहा है।
2. प्रदेश कर्त्त्वकारी के साथ कार्यक्रम:- यह विभाग प्रदेश के विभिन्न कर्त्त्वकारी के साथ उनके प्रतिभागियों को औषधीय पौधों की खेतीबाड़ी तथा पहचान सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा है।

प्रदेश स्थित अन्य हर्बल गार्डनों का विस्तृत व्यौरा ।

पद्ध हर्वल गार्डन नेरी जिला हमीरपुर

विभाग द्वारा नेरी, जिला हमीरपुर में हर्वल गार्डन की स्थापना हेतू 28 एकड़ भूमि अर्जित की गई है जिसमें से लगभग 10 एकड़ भूमि पर जलवायु पर आधारित औषधीय पौधें उगाये जा रहे हैं। हर्वल गार्डन में खुले क्षेत्र में उगाये गये बीज पौध विवरण इस प्रकार से है:- बनक्षा(5000), लाजवन्ती(100), अश्वगन्धा(200), कालमेध(500), बला(100), बाकुची(100), घृतकुमारी(1500), अकरकरा(200), तुलसी(200), इस्बगोल(100), जैद्रोफा(2000), मागपीपली(2000), पुर्णनवा(100), शतावरी(200), संसवार्झ(100), मदनफल(100), बागनखा(100), मेन्था(1500), व जंगली प्याज(200) इत्यादि।

वर्ष 2011–12 में एकत्रित बीज(26 स्पीशीज)का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	औषधिय पौध का नाम	मात्रा
1.	अकरकरा	30 ग्रम
2	अलौआ	170 ग्रम
3	आंवला	3000 ग्रम
4.	अपराजिता	300 ग्रम
5.	अर्जुन	3000 ग्रम
6	अश्वगन्धा	100 ग्रम
7.	बाकुची	70 ग्रम
8.	बला	150 ग्रम
9	बेहडा	4000 ग्रम
10.	चंदन	300 ग्रम
11	चित्रक	400 ग्रम
12	गुंजा रती	100 ग्रम
13	हरड	3000 ग्रम

14	इशरमूल	60 ग्रम
15	काला धतुरा	200 ग्रम
16	कालमेघ	100 ग्रम
17	कस्तूरी लता	150 ग्रम
18	लाजवंती	300 ग्रम
19	लावंग तुलसी	30 ग्रम
20	मालकंगनी	620 ग्रम
21	पूजा तुलसी	200 ग्रम
22	सफेद कोंच	3000 ग्रम
23	सर्पगन्धा	100 ग्रम
24	शालपणी	50 ग्रम
25	श्यामा तुलसी	200 ग्रम
26	उलट कम्बल	270 ग्रम

अन्य उपलब्धियां:

1. भूमि तैयार की गई 6 एकड़
2. पोली टयूबस में 45 स्पीशीज के 25000 के लगभग औषधीय पौध तैयार की गई ।
3. मु0 61600/-रु0 के Germplasm का विक्रय ।
4. आयुर्वेदिक फार्मसी, माजरा को प्रायोगिक कृषि से उत्पादित 1800 किलोग्रम ऐलावेरा की आपूर्ति की गई ।
5. नई जड़ी-बूटियों उगाई गई:- इन्सुलिन पौधा, अपराजिता एवम सिंधूर ।
6. हमीर उत्सव, सुजानपुर होली मेला, भारत निर्माण जन सूचना अभियान के तहत लगाये गये नादौन मेले में औषधीय पौधों की विभागीय प्रदर्शनी लगाई गई ।

हर्वल गार्डन, धुमरेडा रोहडू जिला शिमला

आयुर्वेदिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 7500 मीटर उचाई वाले शीतोष्ण खण्ड मे पाए जाने वाले औषध पौधों की कृषि तकनीक विकसित करने के लिए धुमरेडा (रोहडू) जिला शिमला में हर्वल गार्डन की स्थापना की गई है। इस हर्वल गार्डन की मुख्य विशेषता शीतोष्ण खण्ड में औषधीय पौधों को इकट्ठा करना व महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की खेतीबाड़ी करना है। वहां उगाये जाने वाले मूल्यवान औषध पौधों की संख्या लगभग 24 है।

वर्ष के दौरान उत्पादित बीज—

क्र०सं०	औषधिय पौध का नाम	मात्रा
1.	अतीस	1कि० ग्रम
2	बनककरी	500 ग्रम
3.	रेवन्दचीनी	250 ग्राम
4.	चौरा	1कि०ग्राम

नर्सरीस में उगाये गये औषधीय पौधः—

क्र०सं०	औषधिय पौध का नाम	मात्रा/संख्या
1.	अतीस	50000
2	बनककरी	3000
3.	कुटकी	30000
4.	जटामांसी	2000
5.	चिरायता	5000
6.	कुठ	2000
7.	पुष्करमूल	1000
8.	चौरा	2000

वर्ष के दौरान हर्वल गार्डन से मुबलिक 27500/-रूपये के पौधे

Horticulture Department एवं मुबलिक 1000/- रूपये के अतीस

के 100ग्रम बीज UHF Nauni Solan को विक्रय किये गये।

नई जड़ी-बूटियों उगाई गईः— अद्रेपा बेलाडोना, बनफशा एवम जिंगको बिलोबा।

हर्वल गार्डन जंगल—झलेडा (बिलासपुर)

विभाग द्वारा जंगल—झलेडा जिला बिलासपुर में लगभग 4.5439

हैकटेयर भूमि, वहां विद्यमान जलवायु पर आधारित औषध पौधों की खेती हेतु चयनित की गई है। इस हर्वल गार्डन में विद्यमान जलवायु व उचाई के अनुसार औषध पौधों की नर्सरियां उगाई जायेगी जिसके लिए भूमि विकास का कार्य आरम्भ किया गया है।

वर्ष के दौरान उद्यान में लगाये गये औषधीय पौधों का विवरण निम्न से है:

क्रमांक	औषधिय पौध का नाम	पौधों की संख्या
1.	सर्पगन्धा	5000
2	नींबू घास	500
3	शियोनक	30
4.	बेहडा	30
5.	अर्जुन	30
6	हरड	30
7.	आंवला	30
8.	नीम	30
9	सुहानजन	10
10.	घृतकुमारी	40

वर्ष के दौरान एकत्रित बीज़—बिल्व(1किं 0 ग्रम), अश्वगन्धा(500 ग्रम),

सर्पगन्धा(1.500किं 0 ग्रम)।

आम जनता/नागरिकों को उनकी सुविधा के लिए उपलब्ध कराई

जाने वाली सूचना/सुविधाएं

पद्ध जब कोई नई योजना चलाई जाती है, नियमों/विनियमों में संशोधन या कोई नई नीति बनाई जाती है, उसका प्रचार शैक्षिक विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक नागरिक को किसी प्रकार की सूचना लेने के लिए कार्यालय समयानुसार प्रातः 10 से 5 बजे तक स्वागत किया जाता है।

i) निदेशालय स्तर पर जन सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है जिन्हें राज्य जन सूचना अधिकारी का प्रभार भी सौंपा गया है। पूरे प्रदेश में विभाग के अन्तर्गत इस कार्य के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालयों, महाविद्यालय, क्षेत्रीय अस्पताल व फार्मसियों में 22 जन सूचना अधिकारी कार्यरत हैं, इस अधिनियम के अन्तर्गत 31.3.2012 तक विभाग में 356 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें समस्त आवेदनकर्ताओं को सूचना उपलब्ध करवाई गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

Total of requests received during the year	Information supplied on	No. of appeals	Appeals before the Appellate authority			Appeals before State Commission			Amount of charges collected
			Appeals instituted	Appeals accepted	Rejected	Appeals Instituted	Appeals accepted	Rejected	
356	356	04	00	02	02	01	--	01	Rs.5577

The names, designation and other particulars of the public information officers. At Government level

S. No.	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail Address	Jurisdiction/Units under his control for which he will rendering information to application
1.	Principal Secy./Secy. Ayurveda Appellate Authority	#201 Armsdale Building ,H.P. Secretariat, Shimla-2	0177-2620560	--	Administrative Department at Secretariat Level
2.	Under Secretay Ayurveda Public Information Officer	#207 Armsdale Building ,H.P. Secretariat,	0177-2828498	--	-do-

The names / designation of Public information Officers/ APIOs and Appellate Authority under RTI ACT 2005.

Directorate/State Level

- I) DEPARTMENT/PUBLIC AUTHORITY: - Directorate, Department of Ayurveda Himachal Pradesh, and Shimla-171009.
- II) State PIO- Assistant Director-I, Directorate of Ayurveda.

Directorate level

S.No.	Name of Officer	Designated as	Tel. No.	Jurisdiction
1.	Director	Appellate Authority	0177-2623066 Extension—23	At Directorate level ISM&H
2.	Assistant Director	P.I.O.	0177-2623066 Extension- 42	At Directorate level ISM&H

3.	Supdt. Estt.-I	A.P.I.O.	0177-2623066 Extension--39	At Directorate level ISM&H
----	----------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Field Level

DEPARTMENT / PUBLIC AUTHORITY: - DEPARTMENT OF AYURVEDA

S. N O.	Name of P.I.O.	Address	Tel. No.	Jurisdiction for which he will be rendering information to the applicants
1.	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Bilaspur	222486	Distt. Bilaspur
2.	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Chamba	222669	Distt. Chamba
3	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Hamirpur	222539	Distt. Hamirpur
4.	District Ayurvedic officer	O/o DAO-Kangra at Dharamshala	223202	Distt. Kangra
5.	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Kinnaur at Recong-Peo	222209	Distt. Kinnaur
6.	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Kullu	222637	Distt. Kullu
7	District Ayurvedic officer	O/o DAO- L&S at Keylong	222271	Distt. L&S
8	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Mandi	223362	Distt. Mandi
9	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Shimla	2622101	Distt. Shimla
10	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Sirmaur	222567	Distt. Sirmaur
11	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Solan	223538	Distt. Solan
12	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Una	226011	Distt. Una
13	Principal	R.G.G.PG. Ayurvedic College Paprola..	242064	For College
14	Principal	College of Pharmaceutical Sciences(B- Pharmacy.Ay.) Jogindernagar		For college
15	Medical Superintendent	Regional Ayurvedic Hospital Shimla-2	2621753	For RAH Shimla
16	Medical Superintendent	Regional Ayurvedic Hospital Paprola	242941	For RAH Paprola.
17	Manager	Govt. Ay. Pharmacy Joginder Nagar	222048	For Pharmacy Jogindernagar
18	Manager	Govt. Ayurvedic Pharmacy Majra	255122	For pharmacy Majra.
19	Project Officer	Govt. Research institute in ISM Joginder Nagar	222970	For Research Centre
20	Incharge(Drug Analyst)	Govt .Drug testing Laboratory	222092	For DTL Jogindernagar
21	Registrar, Board of Ayurvedic and Unani System of	Directorate of Ayurveda & H.P.Shimla-9	0177262 3066 Ext. 40	Whole State

	Medicine,(H.P.)			
22 .	Registrar, Council of Homoeopathic System of Medicines(H.P.)	Regional Ayurvedic Hospital,Shimla-2	0177-2621753	Whole State

उत्तरदायी प्रशासन—जन शिकायत एवं समस्याओं को प्रभावशाली निवारण एवं रोकथाम हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ:

क्रम संख्या	पद	कार्यालय दूरभाष
1	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,बिलासपुर	01978.—222486
2	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,घुमारवी	—
3	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,चम्बा	01899—222669
4	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,टुण्डी	—
5	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,तुनूहटी	—
6	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, भरमौर	—
7	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, पांगी	—
8	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, भंजराडू	—
9	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी हमीरपुर	01972—222539
10	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,मैहरे	—
11	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,धर्मशाला	01892—223202
12	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी बैजनाथ	—
13	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, बालकरुपी	—
14	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा कांगडा	—
15	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी नुरपुर	—
16	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी पालमपुर	—
17	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी देहरा	—
18	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी राजा का तालाव	—
19	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	01786—22209
20	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,निगुलसरी	—
21	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी कुल्लू	01902—222637
22	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,आनी	—
23	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,बन्जार	—
24	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,केंलांग	01900—222271

25	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,स्पति	
26	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी मण्डी	01902-223362
27	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, जोगिन्द्रनगर	—
28	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, चैलचोक	—
29	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, सुन्दरनगर	—
30	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, सरकाघाट	—
31	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,ममेल (करसोग)	—
32	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,शिमला	0177-2622101
33	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,सन्धु	—
34	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, रामपुर	—
35	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, नेरवा	—
36	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, रोहडू	07181-240007
37.	कार्यकारी जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,सोलन	01792-223538
38.	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी कडाधाट	.—
39.	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी जलाना	—
40.	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी नालागढ	—
41.	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,नाहन	01702-222567
42.	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,सुरजपुर	—
43.	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,राजगढ	—
44.	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,ऊना	01975-226011
45.	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,अम्ब रिथ्त भन्जाल	—

रोगी कल्याण समितियों का गठन :

विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पपरोला जिला कांगड़ा, शिमला एंव प्रत्येक जिला स्तरीय एंव उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रोगी कल्याण समिति के गठन किये गये है, जिसके फलस्वरूप इन चिकित्सालयों में इस समय 26 रोगी कल्याण समितियां कार्य कर रही है जिनका विवरण निम्न से है:-

Distt.-wise detail of Rogi Kalyan Samiti in the State under the Department of Ayurveda.

Distt. S.No.	S.N	Name of Society
1.	(1)	Rogi Kalyan Samiti at District Ayurvedic Hospital Bilaspur.
	(2)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Kandaur, Bilaspur.
2	(3)	Rogi Kalyan Samitiat District Ayurvedic Hospital Chamba
	(4)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Bharmour, Chamba.
3	(5)	Rogi Kalyan Samiti at District Ayurvedic Hospital Hamirpur.
	(6)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Kadiar, Hamirpur
	(7)	Rogi Kalyan Samiti at Jain Muni Ayurvedic Manvi,Hamirpur
4	(8)	Rogi Kalyan Samiti at District Ay. Hospital Dharamshala, Kangra at D/Sala.
	(9)	Rogi Kalyan Samiti at Halder Kona Ayurvedic Hospital, Kangra
	(10)	Rogi Kalyan Samit iat Ayurvedic Hospital Dehra, Kangra
	(11)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Harsar, Kangra
	(12)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Paprola, Kangra
5	(13)	Rogi Kalyan Samiti at District Ay.Hospital Recong Peo, Kinnaur
	(14)	Distt.Ayurvedic Hospital,Kullu,Distt.Kullu.
6	(15)	Rogi Kalyan Samiti at District Ayurvedic Hospital Katrain, Kullu
7	(16)	Rogi Kalyan Samiti at District Ay.Hospital Keylong, L & Spiti
8	(17)	Rogi Kalyan Samiti at District Ayurvedic Hospital Mandi
	(18)	Rogi Kalyan Samiti at Circle Ay. Hospital Jogindernagar, Mandi.
9	(19)	Rogi Kalyan Samiti at Regional Ayurvedic Hospital Shimla

	(20)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Rampur, Shimla
	(21)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Rohru, Shimla
10	(22)	Rogi Kalyan Samiti at District Ay. Hospital Nahan, Sirmaur
	(23)	Distt.Ayurvedic Hospital,Solan
11	(24)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Nalagarh, Solan
12	(25)	Rogi Kalyan Samiti at District Ayurvedic Hospital Una
	(26)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Ispur, Una

वर्ष 2011–12 की मुख्य उपलब्धियां

1. सरकार द्वारा पी.एच.सी./सी.एच.सी. में एन.आर.एच.एम.के अन्तर्गत 155 पद आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के पद भरने की स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप 65 पदों को हिंदू लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा गया ।

2. जड़ी बूटियों के स्त्रोतों का विकास ।

औषधीय पौधों से सम्बन्धित गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय मिशन आन मेडिसिनल प्लांट्स के तहत वर्ष 2011–12 के लिये मुबलिक 84.30 लाख रुपये की एक वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। इस वार्षिक योजना का कार्यान्वयन स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आयुर्वेद विभाग, हिमाचल प्रदेश एवं उद्यान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में 2 माडल और 2 छोटी नर्सरियों एवं 168 हैक्टेयर किसानों की निजी भूमि पर औषधिय पौधों के कृषिकरण का प्रावधान रखा गया है ।

3. सैंटर आफ एक्सीलैन्स इन द्रव्यगुणा एवं औषधिय पौध की योजना के अन्तर्गत जड़ी-बूटियों के अनुसंधान हेतु आयुर्वेदिक अनुसन्धान संस्थान, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री, हिंदू द्वारा 24.04.2012 को किया गया। इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

4. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत जिला हमीरपुर में 50-बिस्तरीय एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना हेतु मुबलिक 900.00 लाख की अनुदान राशि स्वीकृत की गई जिसमें से मुबलिक 650.00 लाख की धनराशि आयुष विभाग, भारत सरकार से विभाग को प्राप्त हुई ।

5. प्रदेश के विभिन्न जिलों में सात नये आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये एवम् आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र, बठारा जिला शिमला को Revive/ पुनः खोला गया ।

6. 10—बिस्तरीय जिला आयुर्वेदिक अस्पताल, उन्ना को 30—बिस्तरीय अस्पताल में स्तरोन्नत किया गया ।

7. सुल्याली, जिला कांगड़ा में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्तरोन्नत कर पुनः 10—बिस्तरीय अस्पताल का दर्जा दिया गया ।

8. सोलन में 20—बिस्तरीय पंडित दीन दयाल उपाध्याय जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय का शुभारम्भ 3 अक्टूबर, 2011 को माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के कर कमलों द्वारा किया गया । चिकित्सालय के भवन निर्माण कार्य पर मुबलिक 3,67,73,600/-रुपये की धनराशि व्यय की गई है ।

9. 20—बिस्तरीय जिला आयुर्वेदिक अस्पताल, कुल्लू का शुभारम्भ 12 अक्टूबर, 2011 को माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के कर कमलों द्वारा हुआ । अस्पताल के भवन निर्माण पर मुबलिक 1,87,63,000/-रुपये व्यय किये गये हैं ।

10. जिला आयुर्वेदिक अस्पताल, केलांग के मुबलिक 1,97,73,093/- रुपये की लागत से नव—निर्मित भवन का शुभारम्भ 21 अक्टूबर, 2011 को माननीय विधायक लाहौल—स्पिति द्वारा किया गया ।

11. वर्ष 2011–12 में प्रदेश के विभिन्न दूर–दराज क्षेत्रों में कार्यरत 27 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नये भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया जिन पर लगभग मुबलिक 3,94,34,000/- रुप्ये व्यय किये गये।
12. प्रदेश में किसानों को औषधियों पौधों के कृषिकरण, संरक्षण एवं संवर्धन सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने के लिये विभाग द्वारा 80 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें 1664 के लगभग किसान लाभान्वित हुए।
13. प्रदेश के विभिन्न भागों में 36 निशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत 72768 मरीजों की जाँच कर औषधियां वितरीत की गईं।